उत्तराखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कार्ययोजना।

स्तम्भ–1 सड़क सुरक्षा प्रबन्धन– संस्थागत एवं क्षमता विकास

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना, जिसमें परिवहन, लोक निर्माण, चिकित्सा, गृह आदि विभागों के सचिव सम्मिलित होंगे।	परिवहन विभाग	–	अधिसूचित वर्ष में कम से कम 02 बैठकें	 वर्ष में कम से कम 02 बैठकें	अधिसूचना संख्या–316/ix–1/25/2015 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।
2	राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया जाना।	परिवहन विभाग	–	अधिसूचित वर्ष में 02 बैठकें	 वर्ष में 02 बैठकें	अधिसूचना संख्या– 549(1)/ix–1/ 23 (2014)/2017 दिनांक 24–07–2017 के अन्तर्गत मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है।
3	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति का	परिवहन विभाग	–	अधिसूचित		अधिसूचना संख्या– 549/ix–1/ 23 (2014)/2017 दिनांक 24–07–2017 के

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	गठन किया जाना।			मासिक बैठकें	मासिक बैठकें	अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।
4	सड़क सुरक्षा निधि का गठन किया जाना, जिसके माध्यम से राज्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य किये जायें।	परिवहन विभाग	–	पूर्ण	निरन्तर प्रयोग	अधिसूचना संख्या–840/ix–1/ 79(2016)/2017टी0सी0 दिनांक 20–11–2017 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 प्रख्यापित कर दी गई है।
5	राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित किया जाना	परिवहन विभाग	समस्त स्टेक होल्डर विभाग	पूर्ण	लागू की जाएगी	अधिसूचना संख्या–98/ix–1/ 26/2015 दिनांक 09–02–2016 के अन्तर्गत राज्य में सड़क सुरक्षा नीति को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए **उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित** कर दी गई है।
6	सड़क दुर्घटना सूचना तन्त्र का विकास किया जाना।	पुलिस विभाग	परिवहन/ जिला प्रशासन	यातायात निदेशालय का गठन	पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही	राज्य में घटित प्रत्येक दुर्घटनाओं की समीक्षा की जा रही है। सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने हेतु यातायात निदेशालय के स्थायी रूप से गठन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।
7	प्रत्येक दुर्घटना के कारणों का	पुलिस विभाग	परिवहन लो0नि0वि0	निर्देश प्रसारित	निरन्तर	ऐसी सड़क दुर्घटनाओं जिसमें 02 या 02 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होने वाली प्रत्येक

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	इन्वेस्टिगेशन किया जाये, रिपोर्ट तैयार की जाये तथा इसके आधार पर पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जायें।					घातक दुर्घटना पर सम्बन्धित जनपद के प्रभारी को स्वयं घटनास्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। 02 या 02 से अधिक मृत्यु वाली सड़क दुर्घटनाओं को विशेष अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है।
8	लोक निर्माण विभाग में एक स्थायी सड़क सुरक्षा सैल का गठन किया जाना।	लो0नि0वि0	–	गठित / कार्यरत	कार्यरत	

स्तम्भ–2 चालकों में दक्षता एवं क्षमता विकास

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
1	वर्तमान में स्थापित एवं संचालित चालक प्रशिक्षण स्कूलों का आधुनिकीकरण	परिवहन विभाग	समस्त ट्रेनिंग स्कूल	नियमावली में व्यवस्था	व्यवस्था का अनुश्रवण	प्रत्येक स्कूल में सिमुलेटर्स, बायोमिट्रिक अटेण्डेन्स की स्थापना एवं सारथी 4 से जोडे जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।
2	सभी परिवहन कार्यालयों में चालकों की परीक्षा हेतु सिमुलेटर्स की स्थापना	परिवहन विभाग	–	12 कार्यालय	08 कार्यालय	वर्तमान में 12 परिवहन कार्यालयों में सिमुलेटर्स की स्थापना कर दी गयी है।
3	11 संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना	परिवहन विभाग	–	भूमि का चिन्हीकरण	भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही एवं 02 साईट पर निर्माण	
4	शिक्षार्थी लाईसेन्स जारी करने से पूर्व आवेदकों की कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा लिया जाना	परिवहन विभाग	–	लागू	निरन्तर	वर्तमान में 16 कार्यालयों में उक्त सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है।
5	व्यवसायिक लाईसेन्सों के नवीनीकरण से पूर्व चालकों को 02 दिवसीय (भारी वाहन) एवं 01 दिवसीय (हल्का वाहन) रिफ्रैशर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना	परिवहन विभाग	–	लागू	लागू	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के अन्तर्गत उक्त व्यवस्था कर दी गयी है।

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
6	समय–समय पर चालकों के स्वास्थ्य की जॉच कराना	परिवहन विभाग	चिकित्सा विभाग	वार्षिक कैम्प	वार्षिक कैम्प	
7	चालकों/परिचालकों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना	परिवहन विभाग	चिकित्सा विभाग	प्रस्तावित	लागू किया जाएगा	

स्तम्भ–3 सुरक्षित वाहनः वाहनों की फिटनेस में गुणवत्ता विकास

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
1	06 स्थानों पर वाहनों की नियमित जॉच हेतु ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन (Inspection and Certification Centre) की स्थापना,	परिवहन विभाग	–	भूमि का चिन्हीकरण	01 स्थान पर टेस्टिंग लेन का निर्माण	इस हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता निवेदित है।
2	फिटनेस के समय मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्बन्धी नियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।	परिवहन विभाग	–	निरन्तर	निरन्तर	
3	फिटनेस कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान कराना।	परिवहन विभाग	–	निरन्तर	निरन्तर	समय–समय पर एआरएआई, आईआईपी आदि में प्रशिक्षण हेतु कार्मिकों को भेजा गया है।
4	फिटनेस कार्य में संलग्न तकनीकी अधिकारियों की संख्या में वृद्धि किया जाना।	परिवहन विभाग	–	प्रस्तावित	शासन से अनुमोदन के उपरान्त भर्ती की कार्यवाही	
5	तीव्र गति से वाहन संचालन की रोकथाम हेतु व्यवसायिक वाहनों में जीपीएस की स्थापना कराया जाना एवं राज्य/संभाग /उप संभाग स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना।	परिवहन विभाग	–	निविदा की कार्यवाही	01–04–2019 से लागू किया जाएगा।	
6	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 118 में विहीत मानकों के अनुसार	परिवहन विभाग	–	लागू	निरन्तर	

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाया जाना और वाहन फिटनेस के समय इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।					

स्तम्भ–4 सुरक्षित सड़कों की स्थापना एवं अनुरक्षण

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं। राज्य में निर्मित होने वाली सड़कों हेतु Indian Road Congress द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन कराया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ	निरन्तर	निरन्तर	राज्य में निर्मित होने वाली सड़कों के सम्बन्ध में उक्त मानकों का पालन किया जा रहा है और इसे डीपीआर/ड्राईंग/डीजाईन स्टेज पर सुनिश्चित किया जा रहा है।
2	सभी राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों पर IRC Standard के अनुसार रोड मार्किंग एवं साईनबोर्ड लगाया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ	निरन्तर	निरन्तर	**लोनिवि** राज्य में लो0नि0वि0 के पास कुल 9,324 किमी0 सड़कें हैं, जिनमें से 3,125 किमी0 पर आईआरसी स्टेन्डर्ड के अनुसार रोड मार्किंग एवं साईनेज की कार्यवाही की गई है। **एन0एच0(लोनिवि)** एन0एच0(लोनिवि) के पास कुल

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						2091.34 किमी0 सड़कों में से 960 किमी0 पर रोड मार्किंग एवं साईनेज की कार्यवाही कर ली गई है। चारधाम परियोजना के अन्तर्गत 406. 20 किमी0 सड़कों के चौड़ीकरण की कार्यवाही गतिमान है। **एनएचएआई** एनएचएआई के पास उपलब्ध 379. 96 किमी0 में से 50 किमी0 पर रोड मार्किंग एवं साईनेज की कार्यवाही कर ली गई है। अवशेष 329.96 किमी0 सड़कों के चौड़ीकरण की कार्यवाही गतिमान है। **एनएचआईडीसीएल/बीआरओ** एनएचआईडीसीएल/बीआरओ के पास उपलब्ध 482.80 किमी0 सड़कों के चौड़ीकरण की कार्यवाही गतिमान है। अवशेष सभी सड़कों पर रोड मार्किंग एवं साईनेज की कार्यवाही निरन्तर की जायेगी।
3	सभी राज्य राजमार्गों	लोक	एन0एच0(लोनिवि)	निरन्तर	निरन्तर	**लोनिवि**

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	एवं अन्य सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाना और ऑडिट रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के अनुसार सड़क सुरक्षा उपायों का कियान्वयन किया जाना।	निर्माण विभाग	एनएचआईडीसीएल बीआरओ			राज्य में लो0नि0वि0 के पास कुल 9324 किमी0 सड़कों में से 974 किमी0 सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट वर्ष 2017 तक पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2018 में 972. 205 किमी0 सड़कों के सुधारीकरण की कार्यवाही गतिमान है। राज्य योजना के अन्तर्गत 1295.44 किमी0 सड़कों के ऑडिट हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। रोड सेफ्टी आडिटर के द्वारा प्रस्तुत सुझावों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही समयबद्ध रूप में की जायेगी। **एन0एच0(लोनिवि)** एन0एच0(लोनिवि) के पास कुल 2091.34 किमी0 सड़कों में से 406. 20 किमी0 का डीपीआर/डीजाईन स्टेज पर रोड सेफ्टी ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। **एनएचएआई**

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						एनएचएआई के पास उपलब्ध 379.96 किमी0 का डीपीआर/डीजाईन स्टेज पर रोड सेफ्टी ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। **एनएचआईडीसीएल/बीआरओ** एनएचआईडीसीएल/बीआरओ के पास उपलब्ध 482.80 किमी0 का डीपीआर/डीजाईन स्टेज पर रोड सेफ्टी ऑडिट पूर्ण कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
4	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों पर ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण एवं सुधारीकरण किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ	2015, 2016 एवं 2017 में घटित दुर्घटनाओं के आधार पर चिन्हिकरण	2016, 2017 एवं 2018 में घटित दुर्घटनाओं के आधार पर चिन्हिकरण	राज्य में वर्ष (2013, 2014, 2015), (2014, 2015, 2016) एवं (2015, 2016, 2017) में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः– **लोनिवि** कुल 29 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 26 में लघुकालीन एवं 12 में दीर्घकालीन उपाय किये

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						जा चुके हैं। दीर्घकालीन हेतु अवशेष 17 के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। **एन0एच0(लोनिवि)** कुल 33 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 33 में लघुकालीन एवं 03 में दीर्घकालीन उपाय किये जा चुके हैं। दीर्घकालीन हेतु अवशेष 30 के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। **एनएचएआई** कुल 66 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 44 में लघुकालीन एवं 18 में दीर्घकालीन उपाय किये जा चुके हैं। दीर्घकालीन हेतु अवशेष 48 के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। **एनएचआईडीसीएल / बीआरओ** कुल 02 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं, जिनके सम्बन्ध में सड़क सुरक्षा ऑडिट कराया जा रहा है।
5	ब्लैक स्पॉट के चिन्हिकरण,	लोक निर्माण	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल	प्रोटोकाल तैयार किया	प्रोटोकाल के अनुसार	राज्य मार्ग / ओएमआर / एमडीआर के सम्बन्ध में प्रोटोकॉल तैयार कर

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	सुधारीकरण एवं अनुश्रवण हेतु प्रोटोकाल बनाया जाना एवं उसके अनुसार कार्यवाही किया जाना।	विभाग	बीआरओ	जाना।	कार्यवाही किया जाना।	लिया गया है।
6	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु जनपदवार दुर्घटनाओं एवं मृतकों के डाटा का विश्लेषण करना और उसके आधार पर सड़कों में सुधार हेतु कार्यवाही करना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ जिला सड़क सुरक्षा समिति	निरन्तर	निरन्तर	जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से कुल 986 दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् हैः– **लोनिवि** कुल 615 दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 42 में सुधार की कार्यवाही कर दी गई है। अवशेष में कार्यवाही गतिमान है। **एन0एच0(लोनिवि)** कुल 291 दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 61 में सुधार की कार्यवाही कर दी गई है। अवशेष में कार्यवाही गतिमान है। **एनएचएआई** कुल 69 दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिनमें सुधार

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						हेतु कार्यवाही गतिमान है। **एनएचआईडीसीएल / बीआरओ** कुल 11 दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिनमें सुधार हेतु कार्यवाही गतिमान है।
7	राज्य राजमार्गों से मिलने वाले छोटे मार्गों के जंक्शनों का विकास।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ जिला सड़क सुरक्षा समिति	457 जंक्शन पर रोड सेफ्टी ऑडिट कराते हुये कार्यवाही करना।	984 जंक्शन पर रोड सेफ्टी ऑडिट कराते हुये कार्यवाही करना।	कार्यवाही गतिमान है।
8	मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–2018 के अनुपालन में प्रत्येक नई सड़क जिसकी लम्बाई 5 किमी0 से अधिक है, का डिजाईन स्टेज ऑडिट कराया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ	मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन।	मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन।	विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के पत्र संख्या–80 / 76 याता(क) / 2018 दि0 17–01–2018 के द्वारा सभी सम्बन्धितों को अनुपालन हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं।
9	शहरी क्षेत्र में पैदल यात्रियों / वरिष्ठ	लोक निर्माण	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल	स्थलों का चिन्हिकरण	चिन्हित स्थलों पर कार्यवाही	चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है।

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा स्कूली बच्चों हेतु सुरक्षित फुटपाथ की व्यवस्था करना।	विभाग	बीआरओ जिला सड़क सुरक्षा समिति			
10	राजमार्गों पर बस्तियों के निकट Traffic Calming Measures यथा– table top speed breaker, rumble strip आदि स्थापित किया जाना।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ जिला सड़क सुरक्षा समिति	स्थलों का चिन्हिकरण	चिन्हित स्थलों पर कार्यवाही	<u>लोनिवि</u> कुल 9324 किमी0 सड़कों में से 3125 किमी0 सड़कों पर Traffic Calming Measures यथा– table top speed breaker, rumble strip आदि स्थापित किये गये है। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के आदेश दिनांक 17–07–2018 के अन्तर्गत अवशेष कार्य हेतु डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। <u>एन0एच0(लोनिवि)</u> कुल 2091.34 किमी0 सड़कों में से 960 किमी0 सड़कों पर Traffic Calming Measures यथा– table top speed breaker, rumble strip आदि स्थापित किये गये है। अवशेष 406.20 किमी0 के सम्बन्ध में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						कार्यवाही गतिमान है। **एनएचएआई** कुल 379.96 किमी0 सड़कों में से 50 किमी0 सड़कों पर Traffic Calming Measures यथा– table top speed breaker, rumble strip आदि स्थापित किये गये है। अवशेष के सम्बन्ध में मार्ग चौड़ीकरण की कार्यवाही गतिमान है। **एनएचआईडीसीएल / बीआरओ** कुल 482.80 किमी0 सड़कों में से 50 किमी0 सड़कों पर Traffic Calming Measures यथा– table top speed breaker, rumble strip आदि स्थापित किये गये है। अवशेष के सम्बन्ध में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत कार्यवाही गतिमान है।
11	राज्य राजमार्गों पर ट्रक ले–बाई, बस बे–बाई एवं बस शेल्टर्स का निर्माण।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ जिला सड़क सुरक्षा समिति	स्थलों का चिन्हिकरण	चिन्हित स्थलों पर कार्यवाही	**एन0एच0(लोनिवि)** चारधाम परियोजना के अन्तर्गत सिंगल लेन को दो लेन में परिवर्तित करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अन्तर्गत 33 ट्रक ले–बाई बनाया जाना प्रस्तावित है।

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						<u>एनएचएआई</u> दो लेन को चार लेन में परिवर्तित करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अन्तर्गत 09 ट्रक ले–बाई बनाया जाना प्रस्तावित है।
12	लम्बी दूरी के वाहन चालकों के लिए राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर उच्च मार्ग सुविधा केन्द्र विकसित किये जाय एवं चालकों को विश्राम की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इस हेतु परिवहन व्यवसायियों को शिक्षित किया जाए।	लोक निर्माण विभाग	एन0एच0(लोनिवि) एनएचआईडीसीएल बीआरओ जिला सड़क सुरक्षा समिति	स्थलों का चिन्हिकरण	चिन्हित स्थलों पर कार्यवाही	चारधाम परियोजना के अन्तर्गत सिंगल लेन को दो लेन में परिवर्तित करने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अन्तर्गत वे–साइड रेस्ट एरिया विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

स्तम्भ–5 प्रवर्तन कार्यों का सुदृढ़ीकरण एवं यातायात नियमों का अनुपालन कराया जाना

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
1	दो पहिया वाहन चालकों के लिए सम्पूर्ण राज्य में हैल्मेट पहनना अनिवार्य करना एवं इसका प्रचार–प्रसार करना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	**लागू**	**निरन्तर**	परिवहन/पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2017 में बिना हेल्मेट दुपहिया वाहन चलाने वाले 379386 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। वर्ष 2018 में माह जुलाई तक बिना हेल्मेट वाहन चलाने वाले 293445 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।
2	**प्रवर्तन दलों का सुदृढ़ीकरण**					
	2(1) वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुरूप प्रवर्तन दलों का गठन	परिवहन विभाग	पुलिस	प्रस्तावित	गठन की कार्यवाही	परिवहन विभाग द्वारा नये प्रवर्तन दलों के गठन हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा 04 जनपदों में 06 सीपीयू का गठन किया गया है, जिन्हें स्थायी किये जाने हेतु

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						शासन से अनुरोध किया गया है।
	2(2) प्रवर्तन दलों को आधुनिक उपकरण यथा–इन्टरसेप्टर वाहन, एल्कोमीटर, स्पीड रडारगन आदि उपलब्ध कराना।	परिवहन विभाग	पुलिस	इन्टरसेप्टर, प्रवर्तन दल वाहन, एल्कोमीटर क्रय	अन्य उपकरणों का क्रय	परिवहन विभाग द्वारा 04 इन्टरसेप्टर, 09 वाहन एवं 40 एल्कोमीटर क्रय किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। पुलिस विभाग द्वारा 03 इन्टरसेप्टर, 80 सीसीटीवी कैमरे, 04 क्रेन के क्रय की कार्यवाही गतिमान है।
	2(3) प्रवर्तन कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	परिवहन विभाग	पुलिस	**निरन्तर**	**निरन्तर**	सियाम के माध्यम से परिवहन विभाग के 120 अधिकारियों को सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रकार पुलिस विभाग द्वारा सीपीयू यूनिट को एक माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
	2(4) प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान वाहनों का निरूद्ध करने हेतु परिवहन थानों की स्थापना	परिवहन विभाग	–	भूमि का चयन एवं उपलब्धता	थानों की स्थापना	इस हेतु समस्त जिलाधिकारियों एवं परिवहन अधिकारियों को भूमि

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						चिन्हित कर विभाग के नाम हस्तान्तरित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
3	प्रवर्तन कार्य के दौरान दुर्घटनाकारक अपराध (ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग, रेड लाईट जम्पिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, भार वाहनों में यात्री को ले जाना, मोबाईल पर बात करना) करने वाले चालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	मा0 समिति के आदेशों का अनुपालन।	मा0 समिति के आदेशों का अनुपालन।	मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। वर्ष 2018 में कुल 51508 वाहनों का चालान करते हुये 20315 चालक लाईसेंसों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है।
4	सीट बैल्ट/हैल्मेट सम्बन्धी अपराध में चालानों के प्रशमन से पूर्व चालकों को काउन्सिलिंग उपलब्ध कराना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	मा0 समिति के आदेशों का अनुपालन।	मा0 समिति के आदेशों का अनुपालन।	मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। वर्ष 2018 में 275825 कुल वाहनों का चालान करते हुय 272931 चालकों को काउंसलिंग प्रदान की गई है।
5	पुलिस एवं परिवहन विभाग के चालानों का एकीकृत डाटाबेस	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग एन0आई0सी0	ई–चालान व्यवस्था लागू	योजना का निरन्तर	परिवहन विभाग के सभी प्रवर्तन दलों एवं चैकपोस्टों

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	स्थापित करना।			किया जाना।	अनुश्रवण	पर ई–चालान व्यवस्था लागू कर दी गई है। पुलिस विभाग द्वारा ई–चालान लागू करने हेतु हार्डवेयर क्रय की कार्यवाही गतिमान है।
6	मुख्य नगरों के ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम का आधुनिकीकरण जिसके अन्तर्गत चौराहों पर सीसीटीवी, रेड लाईट कैमरा एवं अन्य आधुनिक उपकरण की स्थापना किया जाना।	पुलिस	–	उपकरणों का क्रय एवं स्थापना	उपकरणों का क्रय एवं स्थापना	जनपद देहरादून में 02 चौराहों पर 21 रेड लाईट वाईलेशन डिटेक्शन कैमरे स्थापित किये गये हैं। जनपद देहरादून में 05 स्थानों पर 26 ए.एन.पी.आर. स्थापित किये गये हैं। जनपद देहरादून में 06 स्थानों पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे स्थापित किये गये हैं। 80 सीसीटीवी कैमरे क्रय की कार्यवाही गतिमान है।

स्तम्भ–6 शिक्षा एवं जागरूकता

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
1	स्कूलों, पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सड़क सुरक्षा शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था का अनुश्रवण करते हुए सुधार करना और स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना।	**शिक्षा विभाग**	पुलिस / परिवहन विभाग	जनपदों में विद्यालयों को चिन्हित करते हुए उनके छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान / प्रशिक्षण निरन्तर कराया जायेगा।	राज्य के समस्त प्रकार के विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब का गठन जनपदों में विद्यालयों को चिन्हित करते हुए उनके छात्र–छात्राओं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान / प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।	पुलिस, परिवहन एवं अन्य स्वंय सेवी संस्थानो के साथ ही प्रशिक्षित किये गये अधिकारियों एवं अध्यापकों, शिक्षणेत्तर कार्मिकों के सहयोग। विद्यालयी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानो में गठित सड़क सुरक्षा क्लब के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एवं अभिभावक, अध्यापक समिति से सहयोग प्राप्त करते हुए अभिभावकों एवं स्थानीय जनता को प्रशिक्षित किये जाने के कार्यवाही गतिमान है। उच्च शिक्षा एवं

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						तकनीकी शिक्षा के लगभग 2450 अध्यापकों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
2	स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय पर चैप्टर सम्मिलित किया जाना।	शिक्षा विभाग	परिवहन विभाग / पुलिस विभाग	पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना।	छात्रों को शिक्षित किया जाना।	वर्ष 2017 में राज्य स्तर द्वारा जारी किये गये पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय को शामिल किया गया था। वर्तमान में राज्य में एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तकें लागू हैं। पाठ्य पुस्तकों मे सड़क सुरक्षा विषय को सम्मिलित कराये जाने हेतु निदेशक राष्टीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है।
3	टीचर्स ट्रैनिंग के	शिक्षा	परिवहन	कुल 48837 अध्यापकों,	राज्य के समस्त	प्रत्येक वर्ष शिक्षक

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	अन्तर्गत सड़क सुरक्षा विषय को भी सम्मिलित किया जाना।	विभाग	विभाग/पुलिस विभाग	अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव।	अध्यापकों, अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों वार्षिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।	प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा विषय को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक एवं प्राथमिक स्तर पर वर्तमान में प्रत्येक जनपद के डायट, राज्य स्तर के सीमैट एवं एस0सी0ई0आर0टी0 स्तर (देहरादून) के ट्रेनिंग संस्थानों में वर्तमान अवधि तक 15500 अध्यापकों, अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
4	विभिन्न कार्यक्रमों यथा–रैली, स्ट्रीट प्ले, पपेट शो,	शिक्षा विभाग	परिवहन विभाग पुलिस विभाग	विद्यालयों, मोटर यूनियनों सार्वजनिक स्थलों में जागरूकता कार्यक्रम	विद्यालयों, मोटर यूनियनों सार्वजनिक स्थलों	वर्ष 2018 में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्कूलों में

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	सेमिनार आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।			आयोजित करना।	में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	चित्रकला प्रतियोगिता, निबन्द प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम के अतिरिक्त सड़क सुरक्षा रैली, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, सेमिनार आदि का आयोजन किया गया है।
5	सिनेमाघरों में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित लघु फिल्म अनिवार्य दिखाया जाना।	परिवहन विभाग	पुलिस	निरन्तर	निरन्तर	राज्य के सिनेमाघरों में से कतिपय सिनेमाघरों में फिल्मों का प्रर्दशन प्रारम्भ कर दिया गया है।
6	व्यवसायिक वाहन चालकों का नियमित दृष्टि/स्वास्थ्य परीक्षण।	परिवहन विभाग	चिकित्सा विभाग	वर्ष में एक बार	वर्ष में एक बार	–
7	दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तत्काल प्रथम उपचार उपलब्ध कराना और	पुलिस विभाग	स्वास्थ्य विभाग	निर्देश प्रसारित	निर्देशो के अनुपालन का अनुश्रवण	इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने और गुड सेमेरिटन नियमों

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	घायल को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का उत्पीड़न न किया जाना। इस हेतु चिकित्सकों एवं पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना।					का प्रचार–प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
8	तकनीकी (फेसबुक, व्हाटसप आदि) का प्रयोग करते हुये विभाग एवं सड़क प्रयोगताओं के मध्य सम्बाद स्थापित कराया जाना और सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार किया जाना।	परिवहन विभाग	पुलिस विभाग	फेसबुक पेज, व्हाटसप का बनाया जाना।	कियान्वयन	परिवहन विभाग द्वारा जनसामान्य के मध्य जागरूकता हेतु फेसबुक पेज बनाया गया है, जिस पर सड़क सुरक्षा सामग्री पोस्ट की जाती है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग की वैबसाईट पर रोड सेफ्टी पृष्ठ के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा फिल्मों/मैसेज अपलोड किये गये हैं। पुलिस विभाग

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						द्वारा राज्य के सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी मामलों के प्रचार–प्रसार हेतु फेसबुक एकाउंट बनाये गये हैं। पुलिस विभाग द्वारा व्हाटसप के माध्यम से भी समय–समय पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सूचना प्रसारित की जा रही है।

स्तम्भ–7 आकस्मिक सहायता/सुविधा

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
1	सरकारी चिकित्सालयों में ट्रॉमा सुविधाओं का विकास। प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर ट्रॉमा केयर सेन्टर विकसित किया जाना एवं उनमें आवश्यक उपकरणों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	स्वास्थ्य विभाग	–	निर्माण कार्य	टिहरी गढवाल जनपद में जिला चिकित्सालय बौराड़ी एवं रूद्रप्रयाग में निर्माणाधीन भवन में ट्रॉमा सेन्टर वर्ष 2019 तक स्थापित/क्रियाशील कर दिया जायेगा।	उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में स्थापित/क्रियाशील ट्राँमा सेन्टरों का विवरणः– **देहरादून जनपद** (1) एस0पी0एस चिकित्सालय ऋषिकेश। (2)सामु0स्वा0केन्द्र विकासनगर। **अल्मोड़ा जनपद** (1) गोविन्द सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय, रानीखेत। (2). बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा । **हरिद्वार जनपद** (1) संयुक्त चिकित्सालय रूडकी। **उधमसिंह नगर जनपद** (1) संयुक्त चिकित्सालय काशीपुर **चमोली जनपद** (1) जिला चिकित्सालय गोपेश्वर। (2) सामु0स्वा0केन्द्र कर्णप्रयाग। **उत्तरकाशी जनपद** (1) जिला चिकित्सालय उ0का0। **बागेश्वर जनपद**

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
						(1)जिला चिकित्सालय बागेश्वर। **नैनीताल जनपद** (1) मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।
2	बचाव एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिगत एम्बुलेन्स फ्लीट तैयार किया जाना और एकल टोलफ्री हैल्पलाईन नम्बर की स्थापना।	चिकित्सा विभाग	–	108 सर्विस का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना।	उक्त सुविधाओं की समीक्षा किया जाना।	108 एवं 104 टोलफ्री हैल्पलाईन नम्बर की स्थापना की जा चुकी है।
3	राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के निकट एम्बुलेन्स एवं क्रेन आदि की व्यवस्था करना।	चिकित्सा विभाग	पुलिस विभाग	पुलिस एवं चिकित्सा विभाग को निर्देश निर्गत किया जाना।	उक्त सुविधाओं की समीक्षा किया जाना।	उत्तराखण्ड राज्य में 135 विभागीय एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिनका प्रयोग दुर्घटनाओं में धायल रोगियों को तत्काल बिना किसी विलम्ब के उपचार कराये जाने में किया जाता है।
4	चिकित्सकों एवं तकनीकिशियनों को प्राथमिक उपचार एवं आकस्मिक स्थिति के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	चिकित्सा विभाग	–	प्रस्तावित	निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	चिकित्सकों एवं तकनिशियनों को आकस्मिक स्थिति के सम्बन्ध में समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
5	राजमार्गों के निकट कार्य करने वाले व्यक्तियों, स्वयंसेवियों को प्रथम उपचार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।	चिकित्सा विभाग	–	निर्देश प्रसारित	कार्य की समीक्षा किया जाना।	राजमार्गो के निकट कार्य करने वाले व्यक्तियों स्वयंसेवी संस्थाओं को आकस्मिक सड़क दुर्धटना होने की स्थिति में रेड क्रॉस द्वारा द्वारा प्रथम उपचार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निरन्तर प्रथम उपचार प्रशिक्षण कराया जाता है।
6	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के प्राविधानों के अन्तर्गत सभी भारी वाहन चालकों को प्राथमिक उपचार सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना और वाहनों में प्रथम उपचार पेटिका अनिवार्य रूप से लगवाया जाना।	परिवहन विभाग	चिकित्सा विभाग	निर्देश प्रसारित	कार्य की समीक्षा किया जाना।	परिवहन विभाग द्वारा समय–समय पर मांग किये जाने पर विभाग द्वारा भारी वाहन चालको को प्राथमिक उपचार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। तथा वाहनों में प्रथम उपचार पेटी अनिवार्य रूप से रखे जाने सम्बन्धी निर्देश दिये जा रहे है।
7	दुर्घटना प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया	चिकित्सा विभाग	जिला सड़क सुरक्षा समिति	प्रस्तावित	अनुश्रवण	विभाग द्वारा दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु लगातार जागरूकता अभियान संचालित किये जा रहे है।

क्र0सं0	कार्य	उत्तरदायी विभाग	अन्य स्टेक होल्डर विभाग	प्रथम वर्ष 31–12–2018 तक	द्वितीय वर्ष 31–12–2019 तक	अभ्युक्ति
	जाना।					
8	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र में एक मॉडल इमरजेन्सी केयर सुविधा का विकास करना।	चिकित्सा विभाग	–	–	–	उत्तराखण्ड राज्य के सभी जिलो में जिला चिकित्सालयों, प्रा0स्वा0 केन्द्रों,सामु0स्वा0केन्द्रों एवं ट्रॉमा सेन्टरों में 108 आपात कालीन सेवा एवं विभाग द्वारा राज्य में 135 विभागीय एम्बुलेस की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।